प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 524/2023

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. माडुराम पुत्र हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. सोना पत्नी हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. सरस्वती पुत्री हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. भागवन्ती पुत्री हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. बिरमा पुत्री हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टोपरिया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 19.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 768/766 की कूल 3.5540 हैक्ट एवं रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 229/219 की कुल 1.6190 हैक्ट भूमि स्थित है रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 303/285 की कुल 2.490 हैक्ट भूमि मृतक हंसराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान में हंसराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो कि वादी का पिता है। हंसराम को देहान्त हो चुका है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 हंसराम के जायज वारिसान है जो कि उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्रीया है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है जिसकी वादी न्यायालय [illegible] चाहता है। यही बिना [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा देईदास सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 303 प्रदर्श–1, रोही मौजा भूकरका सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 768 प्रदर्श–2, रोही मौजा भगवान सम्वत 2072–75 खाता संख्या 229 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र हंसराज प्रदर्श–4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–5, पंचायत समिति सदस्य ब्लॉक संख्या 2 श्री सरजीत बैनीवाल द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीया के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 768/766 की कूल 3.5540 हैक्ट एवं रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 229/219 की कुल 1.6190 हैक्ट भूमि स्थित है रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 303/285 की कुल 2.490 हैक्ट भूमि मृतक हंसराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो कि हंसराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 768/766 की कूल 3.5540 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 229/219 की कुल 1.6190 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 303/285 की कुल 2.490 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त समस्त खातों में से मृतक हंसराम व हंसराज का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 524/2023

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. माडुराम पुत्र हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. सोना पत्नी हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. सरस्वती पुत्री हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. भागवन्ती पुत्री हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. बिरमा पुत्री हंसराज जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टोपरिया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 524 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 768/766 की कूल 3.5540 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 229/219 की कुल 1.6190 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 303/285 की कुल 2.490 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त समस्त खातों में से मृतक हंसराम व हंसराज का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:18 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा